राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार, बनेड़ा जिला–भीलवाड़ा(राज.)

प्रकरण संख्या 17/2019 ना.क.

अनवान

पटवार हल्का चमनपुरा बनाम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चमनपुरा
तहसील–बनेड़ा,जिला–भीलवाड़ा

(प्रार्थी) (अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

दिनांक 28.08.2019

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी आज अनुपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:–

ग्राम चमनपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील–बनेडा की कब्रिस्तान हेतु आरक्षित आराजी नम्बर 1348/1 रकबा 1.10 एवं आराजी नम्बर 1350/1 रकबा 0.10 बीघा कुल किता 2 रकबा 2.00 बीघा पर अप्रार्थी द्वारा पत्थर, बजरी, कंकरीट निर्माण सामग्री डालने से खरीफ सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कर लेने पर पटवारी हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया हैं ।

वक्त तारीख पेशी पर दिनांक 15.7.2019 एवं 20.8.2019 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा निर्माण जिला परिषद भीलवाड़ा से गुरू गोवलकर योजना में जन सहयोग व निजी आय से राशि जमा करा प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति उपरान्त प्रथम किस्त प्राप्त होने पर डलवाई गई हैं तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं स्वीकृत आराजी पर ही निर्माण सामग्री डलवाई गई हैं । कार्यवाही ड्रोप की जाय ।

प्रकरण में दिनांक 20.8.2019 को कब्रिस्तान कमेटी देवपुरा के सदर श्री उमराव खां द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री राजमल जीनगर एव मोहम्मद वासिफ खान पठान के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 के तहत मय अधिकार पत्र के प्रस्तुत किया गया जिसे भी शामिल मिसल किया गया हैं ।

अतः प्रकरण में प्रस्तुत जवाब दावा प्रार्थना पत्र एवं रेकार्ड अनुसार जांच की गई तो पाया गया कि ग्राम चमनपुरा के 1348/1 रकबा 1.10 एवं आराजी नम्बर 1350/1 रकबा 0.10 बीघा कुल किता 2 रकबा 2.00 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की जाकर सार्वजनिक प्रयोजन घोषित की गई हैं इसलिये प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती हैं । प्रकरण नम्बर से कम होकर फैसल सुमार हो । निर्णय खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया ।

(शंकर सिंह राठौड़)
तहसीलदार बनेड़ा

Scanned by CamScanner